


प्रकाशन एवं आदि के हम



5

त्रिमान सदस्य प्रबोधय राजस्व मण्डल ग्रालियर खण्डपोठ रीवा, जिला

रीवाम्प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक R 5064/1116



R.S.
20/-

राम्प्रत प्र कुशवाहा पता महाजन कुशवाहा उम्र 55 वर्ष, पशा लाता,

निवासीग्राम पिथौरावाड तहसील उचेहरा जिला सतनाम्प्र० ----- आवेदक
निगराकार

वनाम

1. श्रीमती कुन्ती वाई उम्र 47 वर्ष पति हीरालाल कुशवाहा पेशा कृषि,

निवासी ग्राम का रवेदिया सुई, तहसील उचेहरा, जिला सतनाम्प्र०

2- शासन म०क्र०

आवेदकाण्ठ ग्रनिगराकारण

निगरानी विरन्दु आदेश श्रीमान् राजस्व

निरीक्षक मण्डल अटरा के राजस्व प्रकरण क्र०

10 दिन 14/14-15 ने पारित आदेश दिनांक 22-7-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०क्र० मूराजस्व

संक्षिप्त सन 1959ई०

मान्यवर,

प्रकरण का संदिग्ध विवरण:-

इस प्रकार हैं कि आराजी लसरा क्र० 1257/ 1/ क्र० 1 रकम ००००

८-२०७ है स्थित ग्राम पिथौरावाड पटवारो हल्का पिथौरावाड रा०नि०

मण्डल अटरा तहसील उचेहरा जिला सतना के सम्बन्ध में सीमांकन का

आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण पंजीयन किया जाकर पटवारी हल्का

[Signature]

(5)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5064 - अ/16 जिला गवालियर

रामप्रताप कुशवाहा विरुद्ध बुतीखाई बुशवाहा

1	2	3
१८-१-१९	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. रामप्रताप कुशवाहा..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त अद्यता तहसील उद्देश्य के प्रकरण क्रमांक १०६/३१२/१८५८ में पारित आदेश दिनांक १२-१२-१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रामप्रताप के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २५-३-२०१९ को कलेक्टर रामप्रताप के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">h</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	